प्रकाशित अप्रैल 06,2019

लक्ष्मी विलास बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विलयन की घोषणा

RESERVE BANK OF INDIA

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईबीएचएफएल) ने 5 अप्रैल 2019 को अपने संबंधित बोर्डों की मंजूरी से विलयन की घोषणा की है। मीडिया के एक खंड में यह बताया गया है कि एलवीबी के बोर्ड में रिज़र्व बैंक के दो नामित निदेशकों की उपस्थिति से प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष अनुमोदन मिलता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस स्तर पर विलयन की घोषणा के लिए रिज़र्व बैंक का कोई अनुमोदन नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एलवीबी के बोर्ड में रिज़र्व बैंक द्वारा नामित अतिरिक्त निदेशकों की उपस्थिति का यह अर्थ नहीं है कि विलयन प्रस्ताव के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त है। इसके अलावा, अतिरिक्त निदेशकों ने बैठक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि प्रस्ताव पर उनका कोई विचार नहीं है।

इन संस्थाओं से जब कभी ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हो जायेगा , तब वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों / निदेशों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा उनकी जांच की जाएगी।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/2390